उत्तर प्रदेश शासन,

राजस्व अनुभाग-13

संख्या: 09/2018/371/एक-13-2018-2(लख)/2018

लखनऊ: दिनांक 09 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30 सन 2013) के अन्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (ग्रीन फील्ड परियोजना) के लिये भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामले में अधिनियम की धारा 4 में दी गयी व्यवस्था अनुक्रम में अधिसूचना संख्या-47/एक-13-2018-रा0-13 दिनांक 01 फरवरी, 2018 द्वारा गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु प्राधिकृत किया गया है। उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत निम्नवत बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाता है-

	नाम	पता/ मोबाइल नंबर/ ईमेल आई.डी.	
1	डॉ ए0के0 भारतीय सह आचार्य	समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ मोबाइल नंबर 7991200589	दो गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक।
	डॉ पवन कुमार मिश्रा सहायक आचार्य	समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ मोबाइल नंबर 9919397149	
2	श्री संतु	ग्राम प्रधान, ग्राम मंगहुआ जनपद लखनऊ मोबाइल नंबर 9935452243	पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका या नगर निगम के 2 प्रतिनिधि।
	श्री राम सिंह	ग्राम प्रधान ग्राम महुराकला जनपद लखनऊ मोबाइल नंबर 9956997174	
3	प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा	प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ मोबाइल नंबर 9198277999 ईमेल आई.डी. mkvbbau@gmail.com	पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ।
	प्रोफेसर सनातन नायक	प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ मोबाइल नंबर 9956042761 ईमेल आई डी sanatan5@yahoo.com	
4	श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव	मुख्य अभियंता इंडो नेपाल बॉर्डर लोक निर्माण विभाग लखनऊ मोबाइल नंबर 9415034883	परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

3- उपारोक्तानुसार गठित विशेषज्ञ समूह, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन, अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (4) और (5) में दी गई शर्तों के अंतर्गत करेगा और रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के 2 माह के भीतर अपनी संस्तुति करेगा।

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 09/2018/371(1)/एक-13-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-3 विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा लखनऊ ।
3 निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4 मंडलायुक्त / जिलाधिकारी लखनऊ।
5 मंडलायुक्त, मेरठ/जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
6 गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
7 प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ।
8 प्रोफेसर सनातन नायक, प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ।
9 डॉ ए0के0 भारतीय, सह आचार्य, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
10 डॉ पवन कुमार मिश्रा, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
11 श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता इंडो नेपाल बॉर्डर लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
12 श्री संतु, ग्राम प्रधान, ग्राम मंगहुआ,जनपद लखनऊ।
13 श्री राम सिंह, ग्राम प्रधान ग्राम महुराकला जनपद लखनऊ।
14 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

किंजल सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in